कार्यालय कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी, मेरठ

संख्याः 1324/आबकारी/वार्षिक व्यवस्थापन/2020–21/मेरठ/दिनांकः 15/12/2020.

"विज्ञप्ति"

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–मेरठ की विदेशी मदिरा दुकान–मसूरी, देशी शराब दुकान–मसूरी, बीयर दुकान–मसूरी व देशी शराब दुकान–मण्डी मेरठ रोड, परीक्षितगढ़ जिनकी 14 दिन हेतु न्यूनतम लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस क्रमशः रू0 51398/–, 54879/–, 21864/– व 119823/– निर्धारित है, का संचालन दिनांकः 17.12.2020 से अधिकतम 14 दिवस के लिये या सम्बन्धित दुकान का निलम्बन समाप्त होने अथवा दुकानों के नियमित व्यवस्थापन होने तक, जो पहले हो के लिए किया जायेगा। दैनिक व्यवस्थापन वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित दैनिक लाइसेंस फीस के आधार पर 14 दिवसों हेतु आगणित उक्त बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर कराया जायेगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दुकान का व्यवस्थापन कराया जायेगा।

आवेदक आवेदन करते समय एक प्रार्थना पत्र, आफर के प्रारूप पर विदेशी मदिरा/बीयर/देशी शराब दुकानों हेतु दिये जा रहे आफर को अंकित करते हुए, बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ के नाम देय होगा, संलग्न करेगा। आवेदनकर्ता प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति एवं एक नवीनतम फोटोग्राफ भी संलग्न करेगा, साथ ही आवेदक दुकान संचालन हेतु परिसर की व्यवस्था स्वंय करेगा। संचालित की जाने वाली दुकानों के कोविड–19 के कारण अथवा किसी आदेश से समय विशेष के लिए बन्द किए जाने की दशा में आफरकर्ता किसी छूट/प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। इच्छुक आवेदक दिनांकः 16.12.2020 को अपरान्ह 04:00 बजे तक उपरोक्तानुसार अपने आफर सील बन्द लिफाफे में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जी–75 पाण्डव नगर, मेरठ अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को प्राप्त करा सकते है। प्राप्त आफरों को दिनांकः 16.12.2020 को ही सायं 06:00 बजे कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर खोला जायेगा।

(आलोक कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।

(के0 बालाजी)
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी,
मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–

1– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

2– सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" एवं "अमर उजाला" को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांकः 16.12.2020 के समाचार पत्र में निर्धारित शासकीय दरों पर 08(C.M.)X08(C.M.) स्पेस में प्रकाशित कराकर, सत्यापित दरों का बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

15/12/2020

(आलोक कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।